



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2008/आषाढ़ 26, 1930

No. 401]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2008/ASADHA 26, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन-स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 539(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग (पत्तन-स्कंध) की दिनांक 12 जून, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 453(अ) के साथ पठित दिनांक 19 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 194(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 1 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 9 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 353 (अ) और दिनांक 2 जून, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424(अ) के क्रम में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 8 के बाद निम्नलिखित को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :—

तालिका

9. सीमा-शुल्क आयुक्त, कांडला	सीमा-शुल्क विभाग के प्रतिनिधि।
------------------------------	--------------------------------

[फा. सं. पी टी-18011/12/2007-पीटी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2008

G.S.R. 539(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, (Ports Wing,) No. G.S.R. 194(E), dated 19th March, 2008, No. G.S.R. 298(E), dated 22nd April, 2008, No. G.S.R. 326 (E), dated 1st May, 2008, No. G.S.R. 353 (E), dated 9th May, 2008, read with No. G.S.R. 424 (E), dated 2nd June, 2008, No. G.S.R. 453(E) dated 12th June, 2008, the Central Government hereby appoints the following as trustees after serial number 8 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Kandla :—

TABLE

9. Commissioner of Customs, Representing Customs Kandla	Department.
---	-------------

[F. No. PT-18011/12/2007-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

